

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध / द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद—।

रांच्याअढारह—एसआई(लिपिक) 272—2015 दिनांक: दिसम्बर 17, 2015

सेवा में,

- 1— रागरत विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक: 23.07.2015 को प्रख्यापित “उप्र० पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली—2015” में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदान्नति की कार्यवाही वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है। अतः पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की अन्तिम निर्विवाद वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की अनन्तिम (**Tentative**) वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है, जो <http://uppolice.gov.in> में 'Karmik' folder में Internet पर प्रदर्शित की जा रही है। कृपया अपने सिस्टम/कम्प्यूटर पर Download करके अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को सूचित कराये तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

2— अपने कार्यालय में नियुक्त उक्त कर्मियों के बारे में अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित सूचनाओं का परीक्षण अपने मुख्यालय/कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लें तथा यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके बारे में साक्ष्य सहित पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये, जिससे त्रुटियों को सुधार कर अन्तिम रूप देते हुए निर्विवाद अन्तिम वरिष्ठता सूची गिर्गत की जा सके।

3— अतः कृपया आप पुलिस की उक्त वेबसाइट पर अपलोड सूची में अंकित अपने कार्यालय में नियुक्त राग्बन्धित कर्मियों को तत्काल सूचित करते हुए निर्देशित करें कि उक्त अपलोड की गयी सूची में अंकित चिह्नण के सम्बन्ध में किसी कर्मी जो कोई आपत्ति हो तो वे उसके सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध अभिलेखों आदि की छायाप्रतियों सहित दिनांक 24.12.2015 तक आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। कर्मी के प्राप्त प्रत्यावेदन का उनके सेवाभिलेखों के आलोक में अपने स्तर पर परीक्षण भी कर लिया जाये तथा अपनी टिप्पणी/सरतुरी सहित दिनांक 25-12-2015 तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उस पर नियमानुसार विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लेकर वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा राके।

4— यह भी स्पष्ट करना है कि सामान्य रिथर्टि में दिनांक 25-12-2015 के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों/टिप्पणी पर विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि तैयार की गयी अनन्तिम सम्मिलित वरिष्ठता सूची पर आपत्ति नहीं है एवं अनन्तिम सम्मिलित वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा। अतः “इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता प्रदान किया जाय”।

5— यदि आपके कार्यालय में नियुक्त कोई पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) अन्यत्र स्थानान्तरित/सम्बद्ध हो गया हो या प्रतिनियुक्ति पर हो तो उसे भी अपने स्तर से तैयार की गयी वरिष्ठता के बारे में अवगत कराते हुये कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

M

6— उल्लेखनीय है कि अनन्तिम वरिष्ठता सूची के बाद निर्गत होने वाले अनन्तिम वरिष्ठता सूची में आंशिक रूप से ही संशोधन की सम्भावना होगी। अतः अनुरोध है कि कृपया अनन्तिम वरिष्ठता सूची के कमांक-143 तक के पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के सेवा अभिलेख तत्काल अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जाये:—


- (1)— विगत में यह देखने में आया है कि अधिकान्श कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तालिपि/ओवर राइटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप—पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।
- (2)— वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं के वार्षिक मंतव्य, सत्यनिष्ठा पूर्ण कराने, दण्ड, अपील एवं रिवीजन, अभियोग आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियाँ/सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के परिपत्र संख्या:डीजी—परिपत्र-49/2013 दिनांक 29-08-2013 द्वारा समुचित मार्ग—दर्शन निर्गत किया गया है। (परिपत्र दिनांक 29-08-2013 की प्रति संलग्न है।)
- (3)— भर्ती/चयन वर्ष-2014 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में अनन्तिम वरिष्ठता सूची के कमांक-143 तक के पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) का विवरण बोर्ड प्रपत्र-15 में वर्ष-2004 से 2014 तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट 01-07-2015 होगी। बोर्ड प्रपत्र-15 को भरने हेतु दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक “प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियाँ” पर लिंक करने पर “प्रोन्नति के लिये अर्ह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप” के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहाँ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। (बोर्ड प्रपत्र-15 एवं भरने हेतु दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।)
- (4)— बोर्ड प्रपत्र-15 में सूचनायें ए-3 साइज के पेपर (29.7X42.0 CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-15 में सूचनायें पुलिस मुख्यालय में लायी जाती हैं तो वह किसी भी दशा में रवीकार नहीं होगी।
- (5)— कतिपय पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा “ओवर लुक” हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के

समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अनन्तिम वरिष्ठता सूची के **क्रमांक-143 तक** के पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से स्वघोषित घोषणा—पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मात्र न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा—पत्र में अंकित करा लिया जाय। (**स्वघोषणा—पत्र का प्रारूप संलग्न है।**)

- (6)— यदि स्वघोषणा—पत्र में सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जाँच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-15 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वघोषित घोषणा—पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-15 के साथ **संलग्नकर उपलब्ध कराया जायेगा।**
- (7) समस्त जनपद/इकाई द्वारा बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय। इसी तरह परिक्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के सम्बन्ध में बोर्ड प्रपत्र पर तैयार किये गये सूचना पर सम्बन्धित लिपिक, प्रधान लिपिक एवं संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नाम एवं मोहर सहित अंकित किया जाय।
- (8)— सम्बन्धित पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की चरित्रपंजिकायें एवं **बोर्ड प्रपत्र-15** में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा—पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफट प्रति की सी0डी0 लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-18 में दिनांक: 20.12.2015 तक उपस्थित होकर चरित्रपंजिकाओं/सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7— प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अनुरोध है कि अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च वरीयता अपेक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार(अनन्तिम वरिष्ठता सूची)


(भगवान् स्वरूप)

पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3— अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4— अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

६. ७— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि : पुलिस उप—महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) की समिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस की बेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

स्वघोषणा—पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम / पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद / इकाई)-----नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण

सत्र-----का पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप—पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----
जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2— मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा—पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम / पदनाम / पीएनओ

नियुक्ति स्थान-

दिनांक:

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम / पदनाम की मुहर

नोट—स्वघोषणा—पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व ((3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या-टीजी-परिपत्र- ५९ / २०१३

दिनांक : लखनऊ : काशी २९, २०१३

सेवा में

- १-समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- २-समस्त पुलिस उच्चमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश
- ३-समस्त जनपदीय चरित्र पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/शाखा/इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

कानूनानुसार से होड़ कानूनानुसार के पद पर चरित्र को आधार पर प्रदान किये जाने के संबंध में वर्ष १९९७ तक नहीं पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं/ सेवा अभिलेखों को द्वितीय उपलब्ध कराये जाने के संबंध में

झातव्य है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चरित्र को आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए, प्रोन्ति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जाना है। उपरोक्तानुसार चरित्र के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए प्रदान किये जाने के संबंध में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का अद्यावधिक होना अपरिहार्य है। अपूर्ण तथा त्रुटिहर्ष सूचनाओं के परिणामस्वरूप इस बत की चरित्र पंजिकाओं की सम्बन्धित आवश्यकता है कि उन्होंने एवं प्रोन्ति बोई द्वारा कुछ कर्मियों के संबंध में प्रोन्ति प्रदान किये जाने पर विचार सम्पादन रहती है कि उन्होंने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोई कुछ कर्मियों के संबंध में उच्चन समिति की संस्कृति बन्द लिफाफे में अकाउण रखी नहीं किया। जो सकता अथवा कुछ कर्मियों की पदोन्ति के संबंध में उच्चन समिति की संस्कृति बन्द लिफाफे में अकाउण रखी नहीं किया। आप सभी सहमत होंगे कि यदि प्रोन्ति के पात्र होते हुये भी किसी कर्मी को प्रोन्ति नहीं मिलती है अथवा विताय से निलती है तो इससे उसके मनोबल पर विपरीत प्रमाण पड़ता है।

२- उपरोक्त तथ्यों के द्विटिगत वर्तमान में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पदों पर प्रोन्ति प्रक्रिया के द्वितीय निष्पादन के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का गहनत से पुनरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं की सभी प्रविष्ट अद्यावधिक कर दी गई हैं तथा साथ ही सामिनल रोल सिस्टम में भी सभी प्रविष्टियों की गई हैं।

३- अत आपको निर्दिशित किया जाता है कि जनपद/ इकाई तत्त्व पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया जाये तथा उसमें प्रधान लिपिक एवं राजनीतिक चरित्र पंजिका लिपिक तथा अन्य उपयुक्त कम्यूनिकॉर्ड कार्य के दस्त कर्मचारियों को नियुक्त कर नियन्त्रता सभी दिनुओं पर वाचित अद्यावधिक सूचनाएं प्राप्तिकरण के आधार पर चरित्र पंजिकाओं में तथा नामिनल रोल सिस्टम में अंकित कराना सुनिश्चित करें:-

वार्षिक मन्तव्य-

- १- कर्मियों के सेवा अभिलेखों में सम्पूर्ण सेवाकाल के वार्षिक मन्तव्यों की प्रविष्टि करना।
- २- कर्मियों के प्रतिकल मन्तव्य अंकित किये जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का लेलेख चारित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अपिन कार्यालय पूर्ण कराये यदि इस सम्बंध में मात्र न्यायालय या मात्र अधिकरण द्वारा कोई खण्डनादेश पंजिका में कर्मस्पा की जाय

DHQ AID
2021-22
अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका में करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र

3—कर्मियों के वार्षिक मनतब्दों के कृतिपय कारणों से समय से अंकित न होने की दशा में सामान्य होने की 'मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो उपरोक्त पुलिस भर्ती एवं ब्रोन्टि थोर्ड द्वारा मान्य नहीं है। अतः इस प्रकार सामान्य की 'मोहर लगाकर चरित्र पंजिका' नहीं प्रेषित किया जाये।

4—कर्मियों के वार्षिक मनतब्द न लिखे होने की दशा में शासनादेश संख्या: 36/8/1976—कर्मिक-2 दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के अनुसार ब्लैक की 'मोहर लगाकर वार्षिक मनतब्द प्रेषित किये जाते हैं। दो वर्ष से अधिक वर्षों में ब्लैक की 'मोहर लगाकर प्रेषित करना नहीं मान्य होगा। अतः दो वर्षों से ज्यादा में ब्लैक की 'मोहर न लगाई जाय।

5—यदि अपरिहार्य कारणों से किसी वर्ष के वार्षिक मनतब्द न लिखा जा पा रहा तो उस वर्ष के सम्बन्ध में निम्न 07 बिन्दुओं पर सूचना घरित्र पंजिका में अंकित किया जाये:-

(1) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मी की सेवा की निरन्तरता का प्रमाण पत्र। इस सम्बन्ध में यह प्रमाणित करना है कि उपरोक्त वर्षों में यह निरन्तर सेवा में रहे हैं या सेवा से विरत अथवा गैरहाजिर हो नहीं रहे हैं।

(2) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मियों को कोई प्रतिकूल तथ्य सत्यानिष्ठा निलम्बन एवं 14(1), 14(2) के अन्तर्गत कोई दण्ड मिला हो या मिले हो तो उनका विवरण तथा जिस घटना के सम्बन्ध में दण्ड मिला हो तो उस घटना को दिनांक जैसे—किसी कर्मी को 2005 की घटना के लिये वर्ष-2008 में दण्ड मिला हो तो वोनो दिनांक अंकित करते हुये यह स्पष्ट किया जाये कि वर्ष 2005 की घटना के लिये वर्ष-2008 में दण्ड मिला है।

(3) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत हो नहीं हुआ है। यदि पंजीकृत हुआ है तो उस मुकदमे की उभी वर्तमान में क्या रिस्ति है (यदि यह विवेचनाधीन है, वया अन्तिम रिपोर्ट लाई है? यदि इसमें आरोप पत्र निर्गत होकर माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या सजा की गई है) स्पष्ट लप से अंकित करें तथा ना० न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भी प्राप्त कर चरित्र पंजिका में चर्चा की जाय।

सत्यानिष्ठा-

कर्मियों की सत्यानिष्ठा रोके जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अप्रिय कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में ना० न्यायालय या मा० अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चर्चा की जाय।

दण्ड, अपील एवं रिवीजन -

1—कर्मियों को 14(1) अथवा 14(2) के अन्तर्गत प्रदत्त दण्ड के उद्धरण चरित्र पंजिका में अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस घटना के संबंध में दण्ड प्रदान किया गया है उसके घटित होने की तिथि अथवा अवधि उद्धरण ने अवश्य अंकित हो।

2—कर्मियों को दिये गये दण्ड के विरुद्ध योजित अपील तथा रिवीजन में पारित निर्णय अथवा उनके विवाराधीन होने का एष्ट अंकन किया जाये। यदि अपील अथवा रिवीजन में पारित आदेश के कारण दण्ड विलोपित किया जाता है तो उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किया गया हो।

3—कर्मियों को प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध यदि मा० लोक सेवा अधिकरण अथवा ना० न्यायालय द्वारा दण्ड के संबंध में पारित स्थगनादेश अथवा निर्णय का स्पष्ट उल्लेख उपर्युक्त चरित्र पंजिका में किया जाय तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजिका में चर्चा की जाय।

सतरा
मद्दोह

ताथर

लहार

फौली

निलम्बन-

1-कर्मियों के निलम्बन व उनके निस्तारण का स्पष्ट उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जाये।
 2-कोई कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं में उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने के कारण निलम्बित किया जाना अंकित किया जाता है परन्तु उक्त अभियोग के सम्बन्ध में अन्य कोई विवरण चरित्र पंजिका में उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि कोई कर्मी अभियोग पंजीकृत होने के कारण वर्तमान में अथवा पूर्व में निलम्बित किया गया है तो चरित्र पंजिका के किसी खाली पृष्ठ पर उस अभियोग के सम्बन्ध में अद्यावधिक सूचना अवश्य अंकित की जाय और चरित्र पंजिका में निलम्बन के विवरण के सम्मुख अभियोग की अद्यावधिक सूचना से सम्बन्धित पृष्ठ संख्या को अंकित कर दिया जाय।

अपराध-

कर्मियों के सेवा अभिलेखों में उनके विरुद्ध पंजीकृत सभी अभियोगों का स्पष्ट अंकन किया जाय। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाये कि क्या पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है अथवा नहीं, यदि आरोप पत्र प्रेषित है तो आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि तथा आरोप पत्र संख्या को चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय। यदि अनित्य रिपोर्ट प्रेषित की गई है तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं मात्र न्यायालय द्वारा स्वीकृत करने की तिथि तथा उस आदेश की प्रमाणित छायाचित चरित्र पंजिका में अंकित और दस्ता की जाय। मात्र न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में यदि कोई कर्मी दोषमुक्त किया गया हो तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका में संलग्न की जाये व उसका स्पष्ट अंकन चरित्र पंजिका में किया जाये। यदि मात्र न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में कोई कर्मी को दोष सिद्ध किया गया हो तो उसका भी स्पष्ट अंकन किया जाय तथा मात्र न्यायालय की आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका में दस्ता कर दी जाय। सम्प्रति कर्मियों को विरुद्ध सभी अभियोगों की अद्यतन स्थिति चरित्र पंजिका में अंकित की जाये जिससे कर्मियों के सम्बन्ध में घटन समिति द्वारा सही निर्णय लिया जा सके।

4- ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर तो जिनकी चरित्र पंजिका जनपद में ग्राप्त नहीं है अथवा खो गई है और डुल्सीकेट चरित्र पंजिका तैयार की जा रही है या डुल्सीकेट चरित्र पंजिका तैयार की गई हो। इस कम में सुनिश्चित कर लिया जाय कि डुल्सीकेट चरित्र पंजिका में सम्बन्धित कर्मी के वर्ष 1990 से अब तक के सभी वार्षिक मन्तव्य, दीर्घ, लघु अथवा छुद शब्दों सहित अपराध, निलम्बन तथा सेवा की निरतता का उल्लेख कर दिया गया है। दण्डों के सम्बन्ध में कोई गई अपील कथा रिवेजन की अद्यावधिक रिपति भी स्पष्ट की जाय। इच्छाकार्यका अनुश्रवण प्रतिदिन जनपदीय/इकाई प्रभारी द्वारा केया जाय तथा समस्त अपेक्षित कार्यवाही 15 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कर्मियों की प्रोन्टियों के लिए होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की गार्यवाही विषयक शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में निहित प्राविधिकों के तारीफ निम्नलिखित परिवर्थितों की रूपान्तर सूचना उप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टिंग बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र-3 में अंकित किया गया:-

- 1- यदि कर्मिक निलम्बित घल रहा है
- 2- यदि कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।
- 3-यदि आपराधिक आरोप पत्र कार्मिक के विरुद्ध अभियोग की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोगन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

विदित हो कि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाएं अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण नहीं प्रक्रिया बढ़ित होती है। अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उसके विन्दुओं को ध्यान में रखते हुये 1970 से भर्ती वर्ष तक के आरक्षियों की चरित्र पंजिकाएं पूर्ण करा ली जाय तथा उप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टिंग बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र-3 में अति सावधानीपूर्वक समस्त सद्व्यवहारों की विवरण लिये जायें।

नियुक्ति
02-05-2015
लिखा
प्रपत्र
0 मुहिल
2015
नियुक्ति
जन इका
सहारा
संतरायित (भद्रोही)
हाथरस
सहारनपुर
पीलीभीत
जालीन

कृप से पूर्ण कराये जाने का व्यक्तिगत दायित्व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व इकाई/शाखा प्रभारी के साथ-साथ अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी कार्यालय का होगा तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आने पर संबंधित जनपद/इकाई के अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के बिल्ड कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों में इस कार्य की प्रगति को प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण करेंगे और इसको 30 सितम्बर 2013 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायेंगे।

(दिवराज मार्ग) २९८/।

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि—कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही समयान्तरगत सुनिश्चित कराये
जाने हेतु प्रेषित है :-

- 1—पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, खाद्य प्रकोष्ठ, आवास निगम, सहकारिता प्रकोष्ठ, रेलवे, मानवाधिकार, तकनीकी सेवाएँ, ३०३० पुलिस भर्ती एवं प्रौन्ति बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 2—अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, सेवीसीसीआईडी, यातायात, भ्रष्टाचार, विशेष जॉघ, पीसीएल, सरकंता, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 3—पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश।
- 4—पुलिस उपमहानिरीक्षक (त्थापना) ३०३० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

२५/५/१
मार्ग
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश